रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2003.

# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 27 जून, 2003/6 आषाढ़, 1925

हिमाचल प्रदेश सरकार

**OFFICE OF THE DISTRICT, MAGISTRATE SHIMLA, DISTRICT SHIMLA HIMACHAL PRADESH**

ORDER

*Shimla-2, the 12th June*, 2003

**No. SML-PSH [1]/90-529-44.**—Whereas, it has been brought to the notice of the undersigned that some organisations propose to hold rallies, demonstrations, shout slogans, hold public meetings, play band and carry objects capable of being used as weapon of offence, which may disturb public order.

Whereas, I, S. K. B. S. Negi, IAS, District Magistrate Shimla, am satisfied that to maintain public order, it is necessary to prohibit holding of rallies, demonstrations, shouting of slogans, holding of public meetings and carrying of objects capable of being used as weapon of offence;

Whereas, I am further satisfied that this order should be passed exparte and with immediate effect keeping in view the urgency and necessity for maintenance of public order;

Now, therefore, in exercise of the powers vested in me, under section 6 of Punjab Security of State Act, 1953 as applicable to Himachal Pradesh, I, S.K.B.S., IAS, District Magistrate, Shimla, do hereby prohibit the holding of public meetings taking out procession, rallies, demonstrations, shouting of slogans, playing of band and carrying of

object capable of being used as weapon of offence on the Mall road from (*i*) Chhota Shimla upto Kannedy House and the Ridge, (*ii*) 150 meters on the approach from Rendzevous Restaurant to Rivoli Cenema, (*iii*) Scandle Point to Kali Bari Temple, (*iv*) The link road from Chhota Shimla Gurudwara to Chhota Shimla Kasumpati Road, (*v*) Chhota Shimla Chowk to Raj Bhawan to Oak Over, (*vi*) Upto Boundary building on Chhotta Shimla Kasumpati road, (*vii*) Stairs and pedestrian path adjacent to Chhota Shimla Gurudwara leading to Kasumpati road, (*viii*) Link road from Cart Road to the office of H.P. Administrative Tribunal. (*ix*) The road leading from A.G. Office to Cart Road, (*x*) A.G. Office to Vidhan Sabha, (*xi*) CPWD Office to Chaura Maidan for maintenance of public order.

This order shall howerver, not be applicable to the Police/Para Military/Military Personnel while performing their duties as also on funeral procession and marriage parties.

This order shall come into force at once and shall remain in force for period of two months.

Given under my hand and seal of the office on this 12th day of June, 2003.

S. K. B. S, NEGI,
*District Magistrate, Shimla.*

---

कार्यालय उपायुक्त कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

कारण बताओ नोटिस

कुल्लू, 13 जून, 2003

संख्या पी० सी० एन०(कु)कारण बताओ/त्याग-पत्र-1213-17---एतद्द्वारा श्रीमती डोलमा देवी, वार्ड पंच, ग्राम पंचायत फलाण, वार्ड संख्या 3, डगेड़ विकास खण्ड कुल्लू, हि० प्र० का ध्यान हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 के खण्ड (ण) की ओर आकृष्ट किया जाता है जो निम्नत: है:--

"(ण) यदि उनके दो से अधिक जीवित सन्तान है परन्तु खण्ड (ण) के अधीन निरर्हता उस व्यक्ति को लागू नही होगी जिसके यथास्थिति हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम 2000 के प्रारम्भ होने की तारीख पर या ऐसे प्रारम्भ के एक वर्ष की अवधि के पश्चात् और सन्तान नहीं होती।"

अत: क्योंकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000, 8 जून, 2001 को लागू हो चुका है तथा धारा 122 के खण्ड (ण) का प्रावधान 8 जून, 2001 से प्रभावी होता है अर्थात् 8 जून, 2001 के पश्चात् यदि किसी पंचायत पदाधिकारी के जिसके इस प्रावधान के लागू होने के पूर्व दो या दो से अधिक सन्तान है तथा उक्त प्रावधान लागू होने के पश्चात् अतिरिक्त सन्तानें या सन्तान उत्पन्न होती है तो वह पंचायती राज संस्था में पदासीन रहने के अयोग्य होगा ।

खण्ड विकास अधिकारी कुल्लू ने अपने पत्र संख्या 653, दिनांक 9-5-2003 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है कि आपके दिनांक 18-11-2002 को तीसरी सन्तान उत्पन्न हुई है जिसका इन्द्राज पंचायत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर के क्रमांक 25, दिनांक 12-12-2002 में दर्ज है जो कि पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (ण) के अन्तर्गत वर्णित अयोग्यता में आता है ।

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आप इस पत्र की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर-भीतर लिखित रूप में अपना पक्ष प्रस्तुत करें कि उपरोक्त प्रावधान के दृष्टिगत क्यों न आपके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (क) के अधीन कार्यवाही अमल में लाई जाये ।

आर० डी० नज़ीम,
उपायुक्त कुल्लू, जिला कुल्लू,
हिमाचल प्रदेश ।

---

कार्यालय उपायुक्त सोलन, जिला सोलन (हि० प्र०)

कार्यालय आदेश

सोलन, 17 जून, 2003

संख्या सोलन-3-76 (पंच)/2003-3318-24.—यह कि श्री मेहर चन्द सदस्य, ग्राम पंचायत गोल-जमाला, वार्ड नं० 2, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन (हि० प्र०) को इस कार्यालय द्वारा कारण बताओ नोटिस पंजीकृत संख्या सोलन 3-76 (पंच)/2003-2936-41, दिनांक 30-5-2003 द्वारा 15 दिनों के भीतर-भीतर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिये गये थे । क्यों न उन्हें पंचायती राज अधिनियम, की (संशोधित) धारा 122 (ण) के अन्तर्गत सदस्य पद पर पदासीन रहने के अयोग्य मानते हुए पद को रिक्त घोषित किया जाये ।

क्योंकि श्री मेहर चन्द सदस्य, ग्राम पंचायत गोल-जमाला, वार्ड नं० 2, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन (हि० प्र०) से कारण बताओ नोटिस पर निर्धारित अवधि में कोई स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है । जिससे स्पष्ट होता है कि कारण बताओ नोटिस के बारे में उन्हें कुछ नहीं कहना है । और उसमें लगाये गये आरोप सही हैं । पंचायत पदाधिकारियों के दो से अधिक सन्तान होने पर अयोग्यता का प्रावधान 8 जून, 2000 को पंचायती राज अधिनियम में लाया गया परन्तु इस प्रावधान पर अमल की छूट 8 जून, 2001 तक दी गई थी । इस प्रकार वर्णित प्रावधान में प्रत्येक पंचायती राज अधिनियम, जिसके 8 जून, 2001 के पश्चात दो से अधिक सन्तान उत्पन्न होनी है । वह अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है । ऊपर वर्णित तथ्यों के प्रकाश में श्री मेहर चन्द सदस्य, ग्राम पंचायत गोल जमाला, वार्ड नं० 2, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन (हि० प्र०) का सदस्य के पद पर पदासीन रहना हि० प्र० पंचायती राज अधिनियम, 1994 व सम्बन्धित नियमों में उध्दृत प्रावधानों के अनुकूल होगा ।

अतः मैं, भरत खेड़ा, (भा० प्र० से०) उपायुक्त सोलन, जिला सोलन, (हि० प्र०) उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझे हि० प्र० पंचायती राज अधिनियम, की धारा 122 (1) के खण्ड (ण) व 122 (2) के अधीन प्राप्त है । श्री मेहर चन्द सदस्य, ग्राम पंचायत गोल-जमाला, वार्ड नं० 2, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन (हि० प्र०) के सदस्य पद को रिक्त घोषित करता हूं ।

आदेश से,

भरत खेड़ा,
उपायुक्त,
सोलन, जिला सोलन,
हिमाचल प्रदेश ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित